संख्या-8/2017/1616/94-1-2017-218(1)/2017

प्रेषक,

प्रांजल यादव,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

अपर सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 **लखनऊ :दिनांक: 28 अगस्त, 2017**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय स्वीकृतियॉ निर्गत किये जाने के सम्गबन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1377/नौ-104/2017 दिनांक 21-08-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-91 के अन्तर्गत राजस्व लेखा 2030-स्टाम्प पंजीकरण-01-स्टाम्प न्यायिक मतदेय मद में रूपये 498.61 लाख (रूपये चार करोड़ अट्ठानवे लाख इकसठ हजार) मात्र एवं 02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर मतदेय मद में रूपये 8004.20 लाख (रूपये अस्सी करोड़ चार लाख बीस हजार) मात्र इस प्रकार मतदेय मद में कुल धनराशि रूपये 8502.81 लाख (रूपये पच्चासी करोड़ दो लाख इक्यासी हजार) मात्र, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट में विस्तृत रुप से दिया गया है, को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उपरोक्तानुसार धनराशियों को विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, तो उन मामलों मे व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(2) विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्रावधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सं0-बी0-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रुप से अनुपालन किया जाय।

(4) व्यय को प्राधिकृत विनियोग की सीमा के भीतर रखे जाने से संबंध में बजट मैनुअल में दिये गये निर्देशों एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16-12-2011 के प्राविधानों के कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय इसके साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय व तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1-2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02-01-2017 व शासनादेश संख्या-3/2017/बी0-1-348/दस-2017-231/2017 दिनांक 20-03-2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं। इसकी प्रति विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गई है। अतः उक्त आदेश में निहित निर्देश/प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(प्रांजल यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-8/2017/1616(1)/94-1-2017 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/ द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्टेशन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- निदेशक, वित्त सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-8/2017/1616/94-1-2017-218(1)/2017 दिनांक 28-08-2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	अनुदान 91-राजस्व लेखा -2030 स्टाम्प पंजीकरण-01 स्टाम्प न्यायिक-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 अधिष्ठान	निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण
1	2	3
1	01- वेतन	22.06
2	03- मंहगाई भत्ता	1.50
3	04- यात्रा व्यय	0.35
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.18
5	06- अन्य भत्ते	0.88
6	07- मानदेय	0.01
7	08- कार्यालय व्यय	0.30
8	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.18
9	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.12
10	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.70
11	42- अन्य व्यय	0.00
12	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.03
13	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.12
14	49- चिकित्सा व्यय	0.19
15	51- वर्दी व्यय	0.01
16	पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2.39
17	योग 03 मतदेय	29.02
18	101-स्टाम्पों की लागत 03- न्यायिक स्टाम्प 42-अन्य व्यय	2.92
19	102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय 03- न्यायिक स्टाम्प 42-अन्य व्यय	466.67
	योग 01 मतदेय	498.61

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-8/2017/1616/94-1-2017-218(1)/2017 दिनांक 28-08-2017 का संलग्नक

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या-91 लेखाशीर्षक राजस्व लेखा-2030-स्टाम्प पंजीकरण-02-स्टाम्प न्यायिकेत्तर-001 निदेशन तथा प्रशासन-03 अधिष्ठान	निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का विवरण
1	2	3
1	01- वेतन	35.68
2	03- मंहगाई भत्ता	2.42
3	04- यात्रा व्यय	0.35
4	05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.03
5	06- अन्य भत्ते	1.46
6	07- मानदेय	0.06
7	08- कार्यालय व्यय	4.09
8	09- विद्युत देय	0.47
9	11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.46
10	12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.92
11	13- टेलीफोन पर व्यय	0.01
12	16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2.05
13	19- विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.03
14	42- अन्य व्यय (भारित)	0.01
15	42- अन्य व्यय (मतदेय)	0.01
16	44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.09
17	45- अवकाश यात्रा व्यय	0.24
18	46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0.59
19	47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.15
20	49- चिकित्सा व्यय	0.19
21	51- वर्दी व्यय	0.09
22	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.88
23	**योग 03 मतदेय**	**56.27**
24	**भारित**	**1.00**
25	101-स्टाम्पों की लागत 03- गैर अदालती स्टाम्प	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	42-अन्य व्यय	**4666.67**
26	102-स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय 03- गैर अदालती स्टाम्प 42-अन्य व्यय	**3208.34**
27	800-अन्य व्यय 03-निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उ०प्र० अधिवक्ता कल्याण निधी समिति को संक्रमण 42-अन्य व्यय	**70.0**
28	800-अन्य व्यय 04-वाटर मार्क पेपर की बिक्री पर व्यय 42-अन्य व्यय	**2.92**
	योग 02 मतदेय	**8004.20**
	कुल योग 01 स्टाम्प न्यायिक + 02 स्टाम्प न्यायिकेत्तर- 8502.81 (पच्चासी करोड दो लाख इक्यासी हजार मात्र)	
	भारित शून्य	**0.01**

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।